न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (रीवा सर्किट कोर्ट)

II/निग0/शहडोल/2018/0590

अधि0 श्री अजंती कुमार सोनी
द्वारा पेश 19-01-18

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1– रामाधार पिता बौबीनाथ वैसवार।

2– रामाश्रय पिता स्व0 श्री जगनंदन वैसवार।

दोनो निवासी ग्राम चचाई तहसील व्योहारी जिला शहडोल म0प्र0

——आवेदकगण

बनाम्

1– सीताराम गुप्ता पिता श्री रामनेवाज गुप्ता निवासी ग्राम मुदरिया नगर पंचायत वार्ड कमांक 1 व्यौहारी तहसील व्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0।

2– म0 प्र0 शासन

——अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरिक्षक मण्डल खण्ड तह0 व्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0 के प्रकरण कमांक 65/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 01/08/2017

अंतर्गत धार 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य :–

यह कि भूमि खसरा कमांक 194/697/3 रकवा 0.773हे0 स्थित ग्राम चचाई तह0 व्यौहारी जिला शहडोल की भूमि के सीमांकन बावत आवेदन पत्र अनावेदक क0 1 के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें राजस्व निरिक्षक क वादित भूमि के सभी सरहदी काश्तकारों जिसमें

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2018/0530 **जिला** शहडोल **रामधार** विरूद्ध सीताराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 07-09-2018 को उभयपक्षों के अभिभाषकों को सुना गया । 2. निगरानी मेमों के साथ संलग्न मौका पंचनामा व सूचना पत्र की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि सीमांकन की सूचना सरहदी काश्तकार रामाधार तनय बोबीनाथ को नहीं दी गई है, और न ही पंचनामा पर निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर है । वरिष्ठ न्यायालयों के न्याय दृष्टांत अनुसार- " सीमांकन की सूचना सरहदी काश्तकारों को दिया जाना आवश्यक है ।" 3. अत: सूचना के अभाव में राजस्व निरीक्षक के प्रकरण क्रमांक 65/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 01-08-2017 Sustainable न होने से निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है । 4. उभय पक्ष के अभिभाषकों को नोट कराया जाये । सदस्य 11.9.18	

2